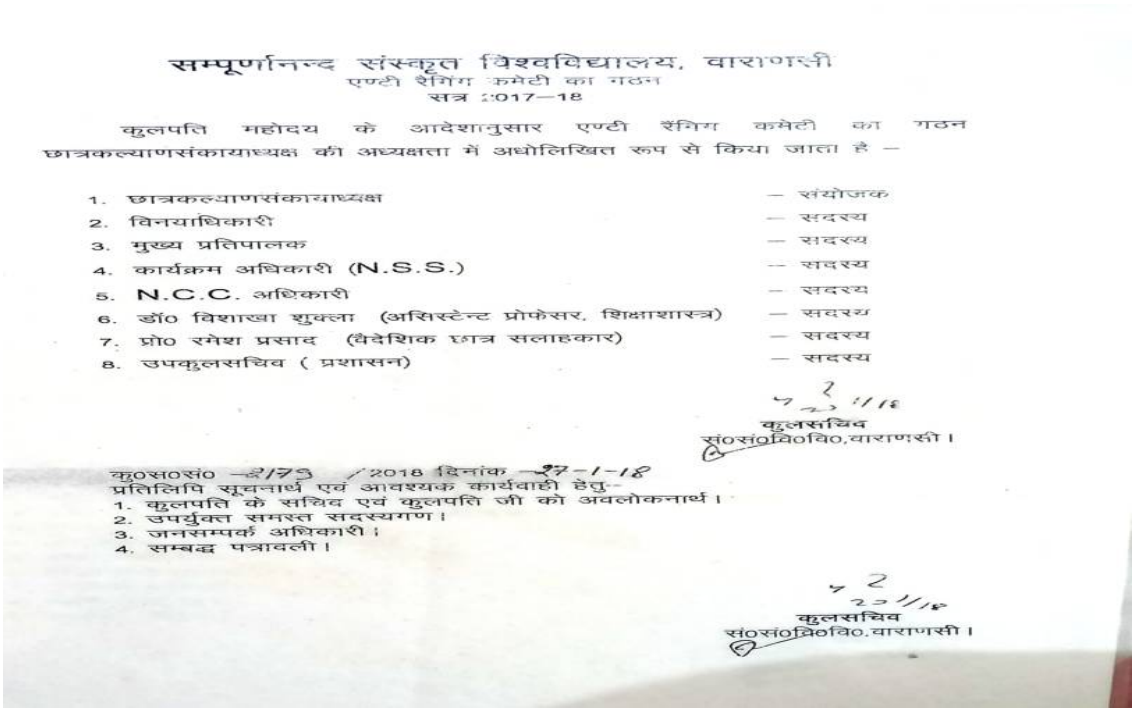

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
एण्टी रैगिंग कमेटी का गठन
सत्र 2017—18

कुलपति महोदय के आदेशानुसार एण्टी रैगिंग कमेटी का गठन छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में अधोलिखित रूप से किया जाता है —

1. छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष — संयोजक
2. विनयाधिकारी — सदस्य
3. मुख्य प्रतिपालक — सदस्य
4. कार्यक्रम अधिकारी (N.S.S.) — सदस्य
5. N.C.C. अधिकारी — सदस्य
6. डॉ० विशाखा शुक्ला (असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र) — सदस्य
7. प्रो० रमेश प्रसाद (वैदेशिक छात्र सलाहकार) — सदस्य
8. उपकुलसचिव (प्रशासन) — सदस्य

23/1/18
कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०,वाराणसी।

कु०स०सं० —2179 /2018 दिनांक —27-1-18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—
1. कुलपति के सचिव एवं कुलपति जी को अवलोकनार्थ।
2. उपर्युक्त समस्त सदस्यगण।
3. जनसम्पर्क अधिकारी।
4. सम्बद्ध पत्रावली।

23/1/18
कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०,वाराणसी।

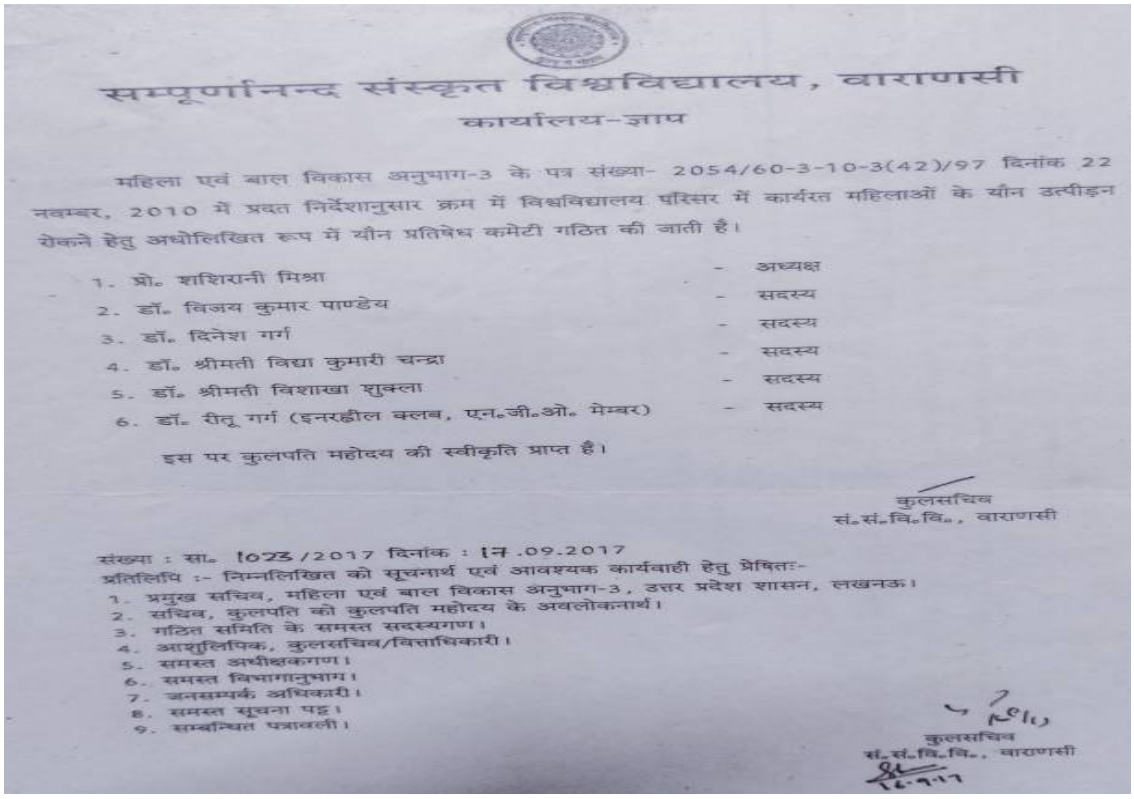

एण्टी रैंगिंग समिति

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
कार्यालय-ज्ञाप

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के पत्र संख्या- 2054/60-3-10-3(42)/97 दिनांक 22 नवम्बर, 2010 में प्रदत्त निर्देशानुसार क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने हेतु अधोलिखित रूप में यौन प्रतिषेध कमेटी गठित की जाती है।

1. प्रो॰ शशिरानी मिश्रा - अध्यक्ष
2. डॉ॰ विजय कुमार पाण्डेय - सदस्य
3. डॉ॰ दिनेश गर्ग - सदस्य
4. डॉ॰ श्रीमती विद्या कुमारी चन्द्रा - सदस्य
5. डॉ॰ श्रीमती विशाखा शुक्ला - सदस्य
6. डॉ॰ रीतू गर्ग (इनरव्हील क्लब, एन॰जी॰ओ॰ मेम्बर) - सदस्य

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

संख्या : सा॰ 1023/2017 दिनांक : 17.09.2017
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. गठित समिति के समस्त सदस्यगण।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्ताधिकारी।
5. समस्त अधीक्षकगण।
6. समस्त विभागानुभाग।
7. जनसम्पर्क अधिकारी।
8. समस्त सूचना पट्ट।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी
16.9.17

यौन उत्पीड़न निषेध समिति

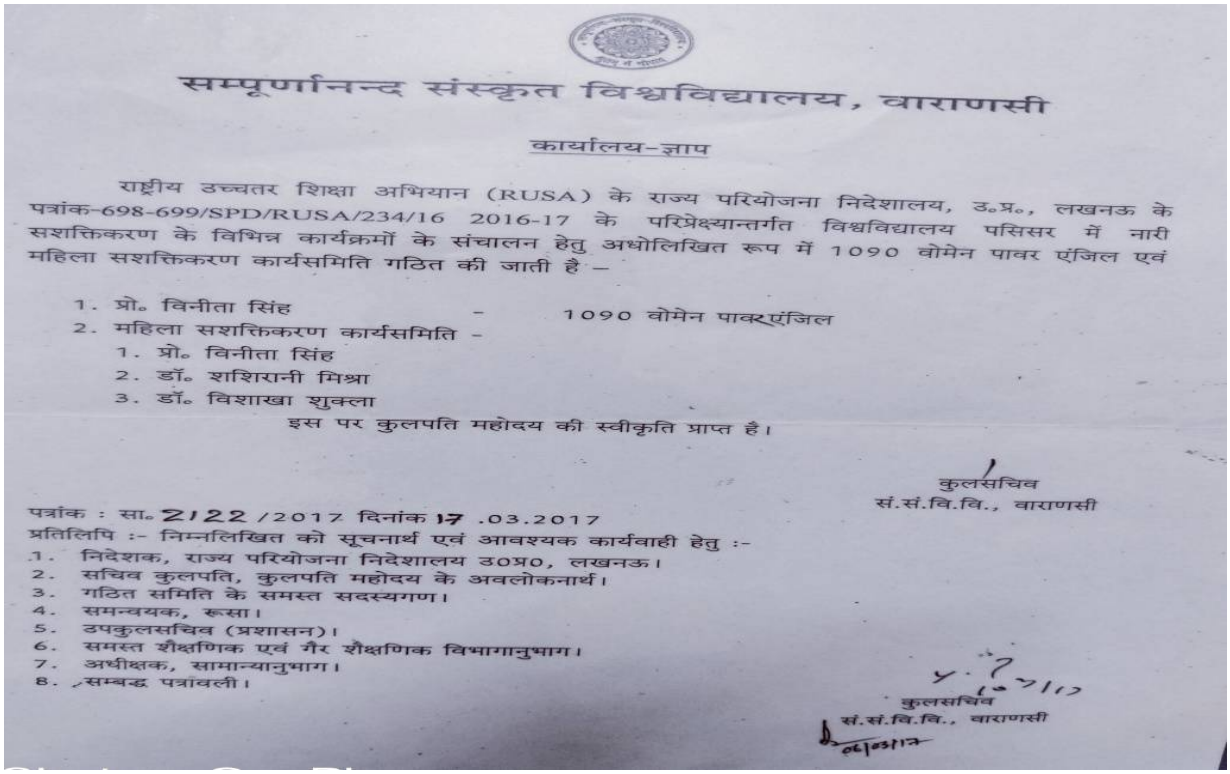

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के राज्य परियोजना निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-698-699/SPD/RUSA/234/16 2016-17 के परिप्रेक्ष्यान्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में नारी सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु अधोलिखित रूप में 1090 वोमेन पावर एंजिल एवं महिला सशक्तिकरण कार्यसमिति गठित की जाती है –

1. प्रो० विनीता सिंह – 1090 वोमेन पावर एंजिल
2. महिला सशक्तिकरण कार्यसमिति –
   1. प्रो० विनीता सिंह
   2. डॉ० शशिरानी मिश्रा
   3. डॉ० विशाखा शुक्ला

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

पत्रांक : सा० 2122 /2017 दिनांक 17 .03.2017

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
2. सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. गठित समिति के समस्त सदस्यगण।
4. समन्वयक, रूसा।
5. उपकुलसचिव (प्रशासन)।
6. समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक विभागानुभाग।
7. अधीक्षक, सामान्यानुभाग।
8. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

महिला सशाक्तिकरण समिति

महिला छात्रावास एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा

जनसंदेश टाइम्स
वाराणसी, शुक्रवार 28 जुलाई, 2023

समान नागरिक संहिता नारी समाज के लिए कल्याणकारी

बोलीं डॉ. प्रेरणा

संपूर्णानंद संस्कृत विवि के महिला अध्ययन केंद्र पाणिनी भवन में परिचर्चा का आयोजन

वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित पाणिनी भवन में गृहविज्ञान कक्ष के महिला अध्ययन केंद्र में गुरुवार को 'समान नागरिक संहिता और मातृशक्ति' विषयक परिचर्चा का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की वरिष्ठ अध्यक्ष डॉ. प्रेरणा चतुर्वेदी ने कहा कि भारत में स्वतंत्रता बाद हिंदू कोड बिल के अंतर्गत बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख तथा अन्य भारतीय धर्मों के विभिन्न संप्रदायों में बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया गया और उसमें सुधार भी हुआ, किंतु इसके अंतर्गत ईसाई, यहूदी और मुसलमानों को विशेष छूट दी गई तथा उन्हें पृथक संप्रदाय के रूप में विशेष कानूनों को मानने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। जिसका सर्वाधिक खामियाजा इस वर्ग की महिलाओं को भुगतना पड़ा। क्योंकि यहां तलाक, पुनर्विवाह, गुजारा भत्ता, बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, रोजगार संबंधी कई असमानताएं हैं।

समान नागरिक संहिता सीधे तौर पर महिलाओं के हित रक्षक हैं। इसके द्वारा महिलाओं के उन्नति होने से और उनके सुरक्षित भविष्य से देश के सामाजिक आर्थिक विकास को निश्चित ही एक नई ऊंचाई और आयाम मिलेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर विधु द्विवेदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है।

चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, इसके अंतर्गत सभी धर्मों में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होता है? निश्चित ही एक समान कानून हो जाने से सबसे ज्यादा लाभ इसे महिला वर्ग को ही होगा। संचालन एवं संयोजन डॉ. रेणु द्विवेदी एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. विद्या चंद्रा ने किया। कार्यक्रम में डॉ. विशाखा शुक्ला, डॉ. विद्या चंद्रा, डॉ. पुष्पा उपाध्याय, आराधना, बबीता, आरती और शारदा सहित विवि की छात्राएं उपस्थित रहीं।

लैगिक समान्ता और सुरक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम

शिक्षा और स्वास्थ से सम्बन्धित

Psychological solution to daily problems of women discussed

PIONEER NEWS SERVICE ■ VARANASI

Under the auspices of Centre for Women Study, Sampurnanand Sanskrit University (SSU), a discussion on Psychological Solution of Women's daily Problems was held on Monday in the Home Science department of the university here. The discussion was based on the book 'Psychological problems of daily life' written by Dr Prenana Chaturvedi.

Expressing her views, the Director of Centre for Women Study and professor in Home Science department of SSU Prof Vidhu Dwivedi said that the women face many problems in daily life and they have to pass physical and mental diseases due to lack in their cure and added that in such a situation, they need a pioneer or friend and a consultant in their absence. Talking about the book, Prof Dwivedi said that these are books which work like weapons in the case of conflict in thoughts and added that women land in mental trouble like depression, phobia, etc because they fail in managing even a little time for them in the present busy life. The mobile addiction is also causing physical as wee as mental problems, she said further.

The chairperson of Satguru Ram Singh Peeth Dr Renu Dwivedi said that psychology has importance in each field of life and also sets the direction of life. The writer of the book Dr Prenana Chaturvedi said that the book has been written with an aim to describe the complications of psychology in simple and easy words for the readers and an effort has been made to give the solution of psychological problems in emotional style instead of using tough words.

Dr Vishakha Shukla described the book as useful in the present time as it teaches how to live a healthy life and leads the way of knowledge. Dr Vidya Chandra offered the vote of thanks, while among those present on the occasion were Dr Pushpa Upadhyay, Nilima Chaubey, Malati Kumari, Kirti Pathak, Saroj Yadav, Ranjana Yadav and Puja.

The guests releasing book in a discussion held by Centre for Women Study, SSU.

धरेलू समस्याओ के मनोवैज्ञानिक समाधान सम्बन्धि कार्यक्रम

राष्ट्रीय पोषण माह

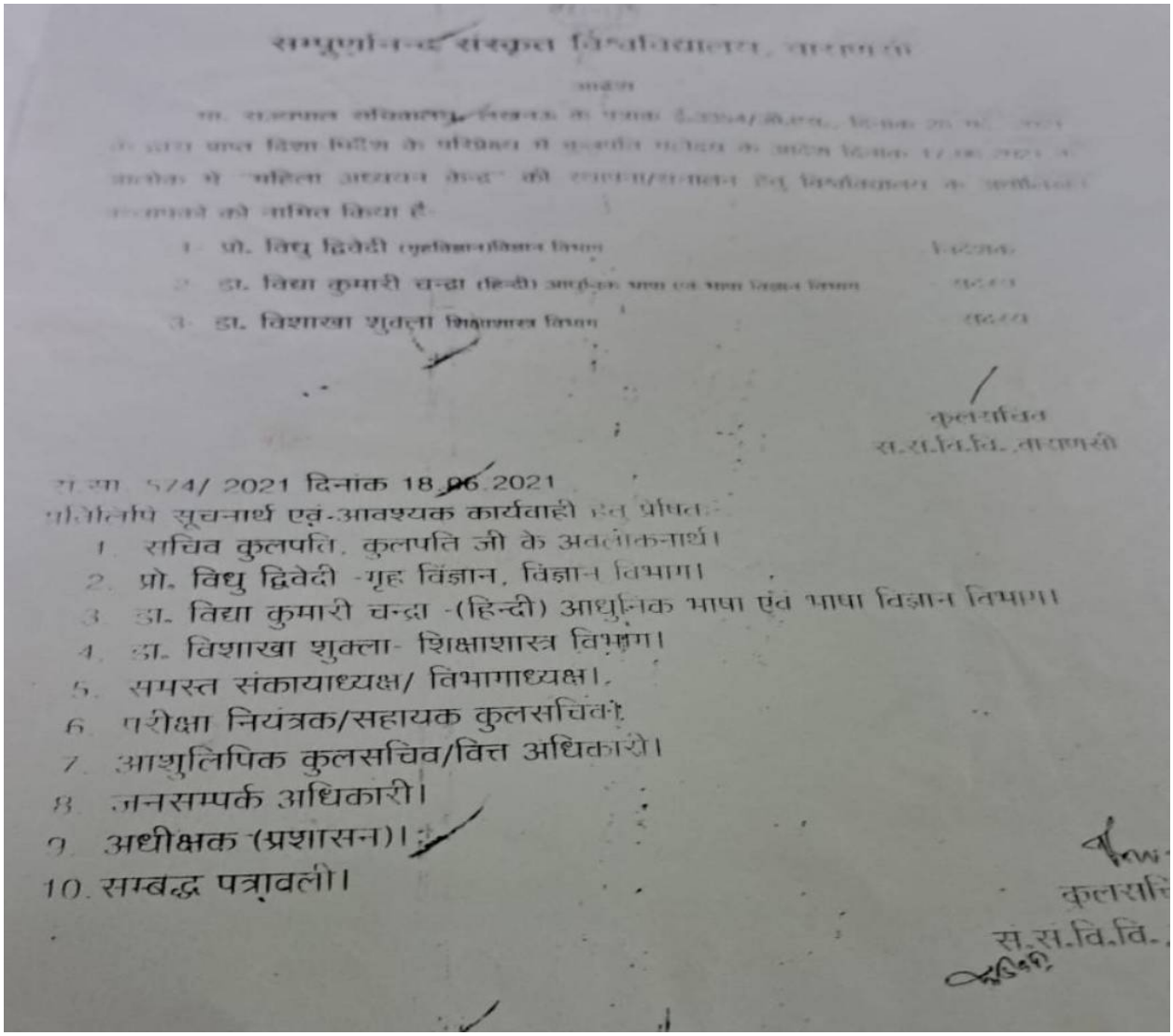

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

आदेश

मा. राज्यपाल [illegible] के [illegible] दिनांक [illegible] 2021 के [illegible] आदेश दिनांक 17.06.2021 के आलोक में "महिला अध्ययन केन्द्र" की स्थापना/संचालन हेतु विश्वविद्यालय के [illegible] को नामित किया है-

1. प्रो. विधु द्विवेदी (गृहविज्ञान)विज्ञान विभाग [illegible]
2. डा. विद्या कुमारी चन्द्रा (हिन्दी) आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग [illegible]
3. डा. विशाखा शुक्ला शिक्षाशास्त्र विभाग [illegible]

कुलसचिव
स.सं.वि.वि. वाराणसी

सं.आ. 574/ 2021 दिनांक 18.06.2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रो. विधु द्विवेदी -गृह विज्ञान, विज्ञान विभाग।
3. डा. विद्या कुमारी चन्द्रा -(हिन्दी) आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग।
4. डा. विशाखा शुक्ला- शिक्षाशास्त्र विभाग।
5. समस्त संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष।
6. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव।
7. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
8. जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधीक्षक (प्रशासन)।
10. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलस[illegible]
स.सं.वि.वि.

महिला अध्ययन केन्द्र समिति

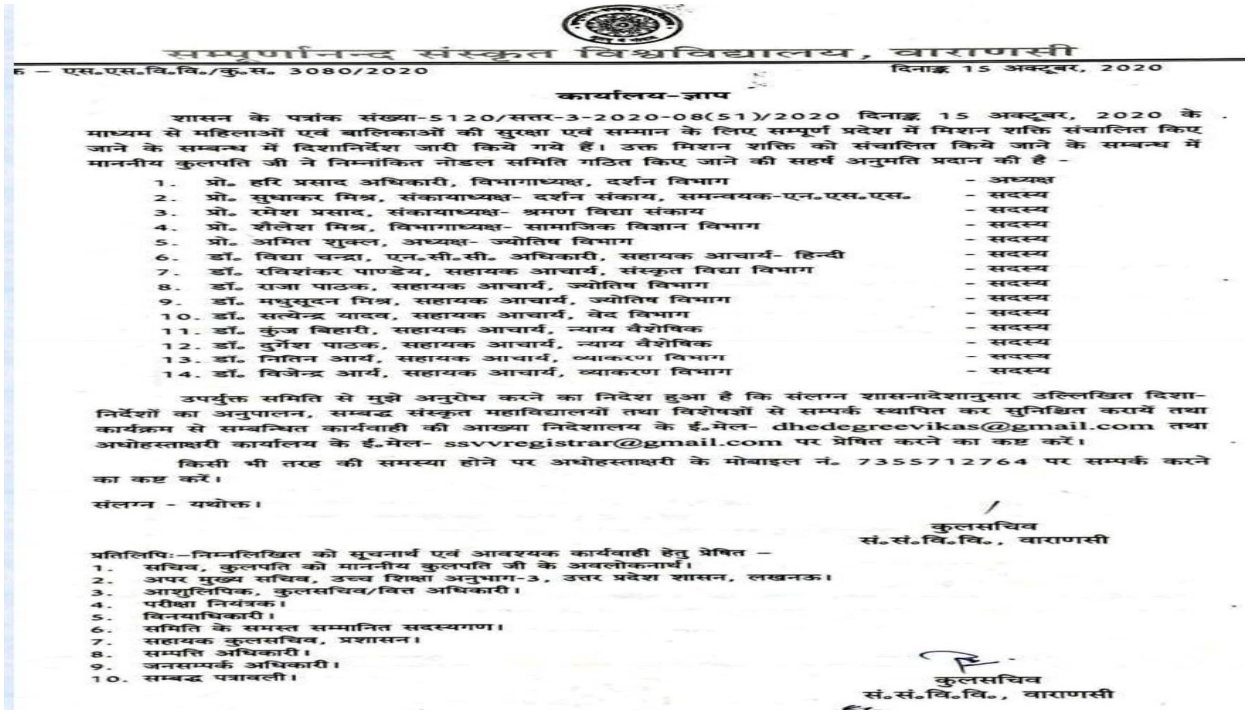

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

ई – एस.एस.वि.वि./कु.स. 3080/2020 दिनाङ्क 15 अक्टूबर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

शासन के पत्रांक संख्या-5120/सत्तर-3-2020-08(51)/2020 दिनाङ्क 15 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में मिशन शक्ति संचालित किए जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। उक्त मिशन शक्ति को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी ने निम्नांकित नोडल समिति गठित किए जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान की है –

1.	प्रो॰ हरि प्रसाद अधिकारी, विभागाध्यक्ष, दर्शन विभाग	– अध्यक्ष
2.	प्रो॰ सुधाकर मिश्र, संकायाध्यक्ष- दर्शन संकाय, समन्वयक-एन.एस.एस.	– सदस्य
3.	प्रो॰ रमेश प्रसाद, संकायाध्यक्ष- श्रमण विद्या संकाय	– सदस्य
4.	प्रो॰ शैलेश मिश्र, विभागाध्यक्ष- सामाजिक विज्ञान विभाग	– सदस्य
5.	प्रो॰ अमित शुक्ल, अध्यक्ष- ज्योतिष विभाग	– सदस्य
6.	डॉ॰ विद्या चन्द्रा, एन.सी.सी. अधिकारी, सहायक आचार्य- हिन्दी	– सदस्य
7.	डॉ॰ रविशंकर पाण्डेय, सहायक आचार्य, संस्कृत विद्या विभाग	– सदस्य
8.	डॉ॰ राजा पाठक, सहायक आचार्य, ज्योतिष विभाग	– सदस्य
9.	डॉ॰ मधुसूदन मिश्र, सहायक आचार्य, ज्योतिष विभाग	– सदस्य
10.	डॉ॰ सत्येन्द्र यादव, सहायक आचार्य, वेद विभाग	– सदस्य
11.	डॉ॰ कुंज बिहारी, सहायक आचार्य, न्याय वैशेषिक	– सदस्य
12.	डॉ॰ दुर्गेश पाठक, सहायक आचार्य, न्याय वैशेषिक	– सदस्य
13.	डॉ॰ नितिन आर्य, सहायक आचार्य, व्याकरण विभाग	– सदस्य
14.	डॉ॰ विजेन्द्र आर्य, सहायक आचार्य, व्याकरण विभाग	– सदस्य

उपर्युक्त समिति से मुझे अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि संलग्न शासनादेशानुसार उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन, सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों तथा विशेषज्ञों से सम्पर्क स्थापित कर सुनिश्चित करायें तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यवाही की आख्या निदेशालय के ई-मेल- dhedegreevikas@gmail.com तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ई-मेल- ssvvregistrar@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

किसी भी तरह की समस्या होने पर अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल नं॰ 7355712764 पर सम्पर्क करने का कष्ट करें।

संलग्न - यथोक्त।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. वित्ताधिकारी।
6. समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण।
7. सहायक कुलसचिव, प्रशासन।
8. सम्पत्ति अधिकारी।
9. जनसम्पर्क अधिकारी।
10. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

मिशन शक्ति–नोडल समिति

मिशन शक्ति–वेबिनार

शास्त्रों एवं पौराणिक ग्रंथों मे नारी शक्ति का महत्व : प्रो. त्रिपाठी

वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हरेराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में गुरुवार को दीक्षा उत्सव पर पाणिनी भवन सभागार में महिला सशक्तीकरण सम्मेलन में ₹लिंग एवं विधि प्रवर्तन₹ विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। कुलपति ने कहा कि हमारे राष्ट्र में महिलाओं का महत्व सदैव रहा है, शास्त्रों एवं पौराणिक ग्रंथो में नारी शक्ति का महत्व है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि महिलाये अपने निर्णय के किये किसी पर निर्भर न हो, मुख्य वक्ता बीएचयू के शिक्षा संकाय के प्रो. मधु कुशवाहा शिक्षा ने स्त्री शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण चुनौती और बाधाएं विषय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। उस दौरान खेल कूद एवं निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें शतरंज, बैडमिंटन, खोखो और निबंध प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार वितरित किया गया। शतरंज में सूर्य प्रकाश तिवारी, बैडमिंटन में डूंगर शर्मा और निबंध प्रतियोगिता में ऋषभ श्रीवास्तव प्रथम स्थान पर रहे। स्वागत संयोजक डॉ. विशाखा शुक्ला, प्रो. हीरक कान्ति चक्रवर्ती व धन्यवाद ज्ञापन डॉ. रविशंकर पांडेय ने किया। इस दौरान प्रो. हरी शंकर पांडेय, प्रो. नीलम गुप्ता, प्रो. शैलेश कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे।

महिला सशक्तिकरण सम्मेलन व पुरस्कार वितरण

खो–खो प्रतियोगिता (छात्राए)

बैडमिंटन प्रतियोगिता (छात्राए)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक–कु.स. 7072/2022 दिनांक : 17 जून, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

एस0डी0जी0 गोल संख्या–4 के निर्धारित इन्डीकेटर्स (शिक्षण संस्थानों में महिला नामांकन दर में वृद्धि) के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रोडमैप/रणनीति बनाकर आख्या/सूचना, शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 20 जून, 2022 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त आख्या/सूचना तैयार करने हेतु अधोलिखित महानुभावों की एक समिति गठित की जाती है।

1. प्रो0 विधु द्विवेदी — अध्यक्ष
2. डॉ0 विद्या चन्द्रा — सदस्य
3. डॉ0 विशाखा शुक्ला — सदस्य
4. श्री चन्द्रनाथ मिश्र — सदस्य
5. डॉ0 ओम प्रकाश, कुलसचिव — सदस्य/सचिव

उक्त समिति की बैठक दिनांक 18 जून, 2022 को मध्याह्न 12:00 बजे से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आहूत है। कृपया यथा समय व स्थान पर बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें, जिससे ससमय सूचना शासन को प्रेषित किया जा सके।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —
1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समिति के समस्त महानुभाव।
3. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन)।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

महिला नामांकन बढ़ाने हेतु समिति

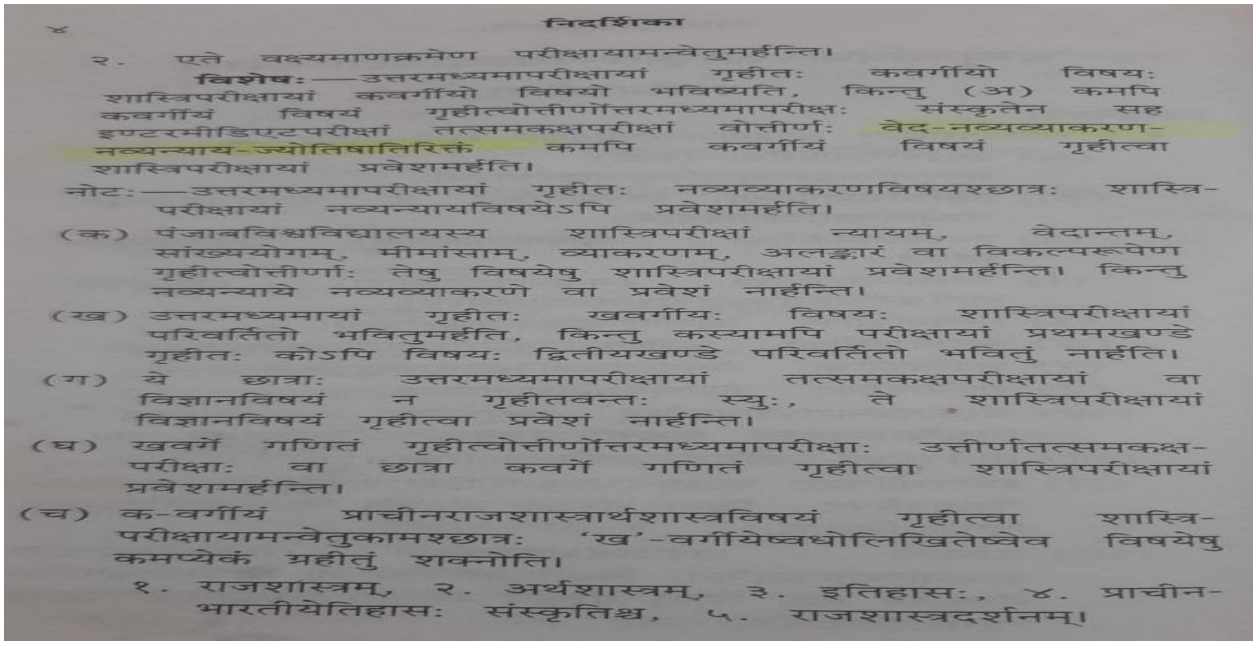

२. एते वक्ष्यमाणक्रमेण परीक्षायामन्वेतुमर्हन्ति।

विशेषः—उत्तरमध्यमापरीक्षायां गृहीतः कवर्गीयो विषयः शास्त्रिपरीक्षायां कवर्गीयो विषयो भविष्यति, किन्तु (अ) कमपि कवर्गीयं विषयं गृहीत्वोत्तीर्णोत्तरमध्यमापरीक्षः संस्कृतेन सह इण्टरमीडिएटपरीक्षां तत्समकक्षपरीक्षां वोत्तीर्णः वेद-नव्यव्याकरण-नव्यन्याय-ज्योतिषातिरिक्तं कमपि कवर्गीयं विषयं गृहीत्वा शास्त्रिपरीक्षायां प्रवेशमर्हति।

नोटः—उत्तरमध्यमापरीक्षायां गृहीतः नव्यव्याकरणविषयश्छात्रः शास्त्रिपरीक्षायां नव्यन्यायविषयेऽपि प्रवेशमर्हति।

(क) पंजाबविश्वविद्यालयस्य शास्त्रिपरीक्षां न्यायम्, वेदान्तम्, सांख्ययोगम्, मीमांसाम्, व्याकरणम्, अलङ्कारं वा विकल्परूपेण गृहीत्वोत्तीर्णाः तेषु विषयेषु शास्त्रिपरीक्षायां प्रवेशमर्हन्ति। किन्तु नव्यन्याये नव्यव्याकरणे वा प्रवेशं नार्हन्ति।

(ख) उत्तरमध्यमायां गृहीतः खवर्गीयः विषयः शास्त्रिपरीक्षायां परिवर्तितो भवितुमर्हति, किन्तु कस्यामपि परीक्षायां प्रथमखण्डे गृहीतः कोऽपि विषयः द्वितीयखण्डे परिवर्तितो भवितुं नार्हति।

(ग) ये छात्राः उत्तरमध्यमापरीक्षायां तत्समकक्षपरीक्षायां वा विज्ञानविषयं न गृहीतवन्तः स्युः, ते शास्त्रिपरीक्षायां विज्ञानविषयं गृहीत्वा प्रवेशं नार्हन्ति।

(घ) खवर्गे गणितं गृहीत्वोत्तीर्णोत्तरमध्यमापरीक्षाः उत्तीर्णतत्समकक्षपरीक्षाः वा छात्रा कवर्गे गणितं गृहीत्वा शास्त्रिपरीक्षायां प्रवेशमर्हन्ति।

(च) क-वर्गीयं प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रविषयं गृहीत्वा शास्त्रिपरीक्षायामन्वेतुकामश्छात्रः 'ख'-वर्गीयेष्वधोलिखितेष्वेव विषयेषु कमप्येकं ग्रहीतुं शक्नोति।

१. राजशास्त्रम्, २. अर्थशास्त्रम्, ३. इतिहासः, ४. प्राचीनभारतीयेतिहासः संस्कृतिश्च, ५. राजशास्त्रदर्शनम्।

६. वेदनैरुक्तप्रकिया

चतुर्थप्रश्नपत्रम् १००

वेदाङ्गशिक्षाध्ययनम्

(क) पाणिनीयशिक्षा ४०

(ख) याज्ञवल्क्यशिक्षा २०

(ग) नारदीयशिक्षा २०

(घ) माण्डूकीशिक्षा २०

अत्र पाठ्यग्रन्थानां सामान्यमर्थज्ञानं तुलनात्मकमध्ययनं चापेक्षितम्।

परम्परागत विषयों में प्रवेश हेतु नियमावली

दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के अन्तर्गत संचालित कर्मकाण्ड डिप्लोमा कोर्स की प्रायोगिक अभ्यास में भाग लेते छात्र एवं छात्रायें